महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और दंड संबंधी इग्नू पॉलिसी (नीति) 2008

उद्देशिका

भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में अपने 1977 के निर्णय में प्रत्येक नियोक्ता और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए यह बाध्यकर बनाया है कि वे न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों का पालन करें और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का विरोध करने के लिए एक विशिष्ट पॉलिसी तैयार करें। यह निर्देश शैक्षिक संस्थाओं पर भी लागू हैं।

उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अधिदेश का पालन करते हुए, इग्नू ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और दंड के लिए इस पॉलिसी को अपनाया है। इग्नू अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी महिलाओं को यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने और शोषण से मुक्त कार्य और अध्ययन स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें इग्नू के शैक्षिक, गैर-शैक्षिक स्टाफ और विद्यार्थी वर्ग की सभी महिलाएँ शामिल हैं। प्रत्येक महिला को यौन उत्पीड़न से मुक्त रहने और यौन उत्पीड़न मुक्त परिवेश में काम करने का अधिकार है।

1. पॉलिसी (नीति)

महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार और गरिमा से काम करने का अधिकार महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के निराकरण संबंधी कन्वेंशन (CEDAW) जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकार माने गए हैं, भारत ने जिसका अनुसमर्थन किया है।

विशाखा निर्णय में उच्चतम न्यायालय, ने माना कि यौन उत्पीड़न की प्रत्येक घटना के फलस्वरूप स्त्री-पुरुष समता के मौलिक अधिकारों और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लघंन होता है। यौन उत्पीड़न भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में प्रदत्त आश्वासन के अनुसार महिलाओं के जेंडर समता के अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके गरिमा से रहने के अधिकार और अनुच्छेद 191(जी) के अंतर्गत सुरक्षित माहौल में गरिमा के साथ उसके काम करने के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।

2. यौन उत्पीड़न की परिभाषा

निम्नलिखित आचार व्यवहार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दायरे में शामिल होंगे :

1. जब अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार जैसे कामुक हरकतें, कामुक अनुग्रहों का निवेदन, और कामुक ढंग के भाषाई अथवा शारीरिक आचरण को, सुस्पष्ट रूप से अथवा अव्यक्त रूप से अध्यापन /मार्गदर्शन, शिक्षा, रोजगार, सहभागिता अथवा इग्नू की किसी गतिविधि में महिला के मूल्यांकन की सीमा या शर्त बनाया जाए।

2. जब अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार - जैसे कामुक हरकतें, शारीरिक और/अथवा शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण जैसे कामुक टिप्पणियाँ, फब्ती कसना, मज़ाक, पत्र, फोन करना, एस.एम.एस. अथवा ईमेल भेजना, अश्लील मुद्राएँ, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन, डरावने ढंग से घूरना, शारीरिक संपर्क, लुक छिप कर पीछा करना, अपमानजनक स्वरूप की ध्वनियाँ निकालना, अथवा प्रदर्शन करना - किसी महिला के कार्य या शैक्षिक निष्पादन में हस्तक्षेप करने का उद्देश्य और/अथवा प्रभाव रखते हों अथवा रोजगार, शिक्षा अपना जीवन संबंधी एक भयभीत करने वाला, प्रतिकूल अथवा आक्रामक

परिवेश उत्पन्न करते हों। अवांछनीय कामुक रूप से प्रवृत्त व्यवहार में उपर्युक्त व्यवहार तो शामिल है किंतु यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

3. जब कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध शरीर को अथवा शरीर के किसी भाग को अथवा किसी वस्तु को शरीर के विस्तार के रूप में कामुक इरादे से प्रयुक्त करता है तो यह कामुक आक्रमण कहलाएगा।

स्पष्टीकरण :

(क) यह स्पष्ट किया जाता है कि यह महिला की युक्तियुक्त अनुभूति (बोध) के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा कि कोई आचरण कामुक इरादे से किया गया था और, यदि ऐसा था, तो यह आचरण अवांछित था अथवा नहीं और इस आचरण को लेकर महिला द्वारा उठाई गई आपत्ति उसकी शिक्षा या रोजगार के और साथ ही साथ मूल्यांकन, ग्रेडिंग (श्रेणीकरण), भर्ती अथवा पदोन्नति के संबंध में उसके लिए हानिकारक होगी, अथवा इससे कामकाजी, शैक्षिक अथवा जीवन परिवेश प्रतिकूल बनेगा।

(ख) "प्रतिकूल परिवेश" बनना तब कहा जाता है जब यौन उत्पीड़न का कोई आचरण किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करने का इरादा या प्रभाव रखता हो अथवा शैक्षिक अथवा जीवन परिवेश को भयभीत करने वाला, प्रतिकूल या आक्रामक बनाता हो।

इग्नू के सभी सदस्य - प्रबंधन, शैक्षिक स्टाफ, गैर-शैक्षिक स्टाफ, सहायक स्टाफ, विद्यार्थियों, परामर्शदाताओं, अतिथियों, सेवा-प्रदाताओं, स्थायी, अस्थायी, अवैतनिक, तदर्थ, स्वैच्छिक या अल्पकालिक पदों पर कार्यरत स्टाफ सहित - इस पॉलिसी का सम्मान करेंगे और उन पर यह पॉलिसी लागू होगी। इग्नू से जुड़े केंद्रों/संस्थानों के सदस्यों पर भी यह पॉलिसी उस समय लागू होगी जब वे इग्नू से संबंधित कार्य कर रहे हों।

इस पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और सजा के लिए इग्नू नियमों और क्रियाविधियों-2008 में वर्णित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। इग्नू में यौन उत्पीड़न की सज़ा अनुशासनिक कार्यवाही से लेकर विश्वविद्यालय से बर्खास्तगी तक हो सकती है।

यौन उत्पीड़न को संगत आचरण और सेवा नियमों और विनियमों के अधीन रोजगार में कदाचार के समान माना जाएगा और संबद्ध नियमों/विनियमों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

इग्नू सुनिश्चित करेगा कि इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली किसी भी महिला का तृतीय पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न न हो; इसकी रोकथाम करने के लिए इग्नू सभी आवश्यक और युक्तिसंगत कदम उठाएगा। जहाँ इस तरह के यौन उत्पीड़न की कोई घटना सामने आती है, वहाँ नियोक्ता यौन उत्पीड़न पीड़ित महिला की शिकायत निवारण हेतु सहायता के लिए सभी अनिवार्य और युक्तिसंगत उपाय करेगा।

यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने या यौन उत्पीड़न जाँच में सहयोग देने वाले किसी भी कर्मचारी, विद्यार्थी या स्टाफ सदस्य से बदला लेना गैर-कानूनी माना जाएगा।

3. पॉलिसी के उद्देश्य

- सभी नियोजकों को कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध नीति (पॉलिसी) को बनाने और लागू करने का आदेश देने वाले, उच्चतम न्यायालय के निर्देश को पूरा करना।
- यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहने के महिलाओं के अधिकार और जीविका के अधिकार को कायम रखना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम करना और शिकायत का निवारण करना।
- इग्नू के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए स्थाई क्रियाविधि विकसित करना।
- ऐसे सामाजिक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को बढ़ावा देना जिसमें महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता विकसित हो और लोगों को यह अहसास रहे कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न माना जाने वाला कोई भी आचरण करने पर उन्हें दंड मिलेगा।
- सभी आवश्यक और यथोचित कदम उठा कर पॉलिसी का कार्यान्वयन व्यवहार और अभिप्राय में सुनिश्चित करना। इसमें स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव के विरुद्ध संवेदीकरण के उद्देश्यों से समुचित समितियों का गठन करना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच पड़ताल करना भी शामिल है।
- महिलाओं के प्रति भेदभाव और हिंसा से रहित परिवेश उपलब्ध कराने की इग्नू की प्रतिबद्धता को कायम रखना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जनमत बनाना।

. . . .